भारत सरकार
नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1316
गुरुवार, दिनांक 27 जुलाई, 2023 को उत्तर दिए जाने हेतु

<u>पीएम-कुसुम के अंतर्गत लघु और सीमांत किसान</u>

1316. श्री भर्तृहरि महताब: क्या नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (पीएम-कुसुम) के अंतर्गत लघु और सीमांत किसानों को शामिल करने के लिए कोई मानदंड निर्धारित किया गया है क्योंकि वर्तमान में 3.0 एचपी मोटर और उससे अधिक की क्षमता वाले किसानों पर ध्यान केंद्रित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार सौर पंपों द्वारा पहले से ही क्षरित हो चुके भू-जल के अत्यधिक दोहन से निपटने के लिए नीतियां बनाने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं विद्युत मंत्री
(श्री आर.के. सिंह)

(क) और (ख): पीएम-कुसुम एक मांग आधारित योजना है और इसलिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त मांग के आधार पर योजना के तीन घटकों के तहत मात्राएं/क्षमताएं आवंटित की जाती हैं।

घटक 'ख' और घटक 'ग' के तहत पंपों का सौरीकरण किया जाता है। पीएम-कुसुम योजना दिशानिर्देशों के अनुसार योजना के कार्यान्वयन के दौरान राज्य कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा छोटे और सीमांत किसानों को प्राथमिकता दी जाएगी।

स्टैंडअलोन सौर पंप के आकार का चयन क्षेत्र में जल स्तर, शामिल भूमि और सिंचाई के लिए आवश्यक जल के आधार पर किया जाना है।

(ग) और (घ): पीएम-कुसुम के दिशानिर्देशों में सौर पंपों द्वारा भूजल का अत्यधिक दोहन किए जाने पर ध्यान देने के लिए प्रावधान है।

योजना दिशानिर्देशों के अनुसार, केन्द्रीय भूजल बोर्ड (सीजीडब्ल्यूबी) द्वारा अधिसूचित डार्क जोन/ब्लैक जोन/अति दोहन वाले क्षेत्रों में नए पंप स्थापित करने की अनुमति नहीं है। हालांकि, इन क्षेत्रों में मौजूदा स्टैंडअलोन डीजल पंपों को स्टैंडअलोन सौर पंपों में बदला जा सकता है बशर्ते वे पानी बचाने के लिए माइक्रो सिंचाई तकनीक का प्रयोग करते हों।

*****